

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प, ज्ञापांक-450(1) दिनांक-15.04.2017 की कंडिका-3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

"3- यह व्यवस्था सत्र 2017-18 से लागू होगी। एतद् विषयक बंध-पत्र (Bond) नये छात्रों से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ले लिया जायेगा। बंध-पत्र (Bond) के साथ छात्रों से उनके एम0बी0बी0एस0 से संबंधित अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रों को इससे संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे।"

2- संकल्प, ज्ञापांक-450(1) दिनांक-15.04.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3- उक्त संकल्प की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-58/2015- 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 26/4/2017

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ सी0डी0 सहित प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-58/2015- 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 26/4/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/उप निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-58/2015- 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 26/4/2017

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना/अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विधि-58/2015- 479 (1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 26 / 4 /2017

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


26.4.17
सरकार के संयुक्त सचिव